



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शनिवार, 28 फरवरी, 2026

फाल्गुन 9, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 97 / ग्यारह-2-26-9(47)-17-टी0सी0-302-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (371)-2026

लखनऊ, 28 फरवरी, 2026

अधिसूचना

प0आ0-40

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 2017) की धारा 112 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर एतद्वारा दिनांक 30 जून, 2026 को उस दिनांक के रूप में अधिसूचित करते हैं जिस दिनांक तक, इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष, उन समस्त मामलों के सम्बंध में जहां वह आदेश जिसके विरुद्ध अपील की जाने की वांछा की गई है, 1 अप्रैल, 2026 से पहले अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचित कर दिया गया है, अपील फाइल की जा सकेगी और 1 अप्रैल, 2026 को या उसके पश्चात् संसूचित आदेश के सम्बंध में समस्त अपीलें उस दिनांक से, जिस दिनांक को ऐसा आदेश अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचित किया जाता है, तीन मास के भीतर अपील अधिकरण के समक्ष फाइल की जा सकेंगी।

आज्ञा से,
कामिनी चौहान रतन,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 97 / XI-2-26-9(47)-17-T.C.-302-U.P.Act-1-2017-Order(371)-2026, dated February 28, 2026 :

No. 97 / XI-2-26-9(47)-17-T.C.-302-U.P.Act-1-2017-Order(371)-2026

Dated Lucknow, February 28, 2026

IN exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 112 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby notifies the 30th day of June, 2026, as the date upto which appeal may be filed before the Appellate Tribunal under this Act in respect of all cases where the order sought to be appealed against is communicated to the person preferring the appeal before the 1st day of April, 2026 and all appeals in respect of order communicated on or after 1st April, 2026 may be filled before the Appellate Tribunal within three months from the date on which such order is communicated to the person preferring the appeal.

By order,
KAMINI CHAUHAN RATAN,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 405 राजपत्र-2026-(1254)-599 प्रतियां (डी0टी0पी0/ऑफसेट)।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 26 सा0 राज्य कर-2026-(1255)-500+500=1000 प्रतियां (डी0टी0पी0/ऑफसेट)।